Application for Loan by the Subscribers of E.P.F. Scheme

2892. SHRI D. S. A. SIVAPRAKASHAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that applications for loans from subscribers to the Employees P.F. Scheme under Para 68(B) for construction, repairs, etc. of houses are sent to the Provident Fund Commissioners;

(b) whether Government have taken any steps to ensure that houses are actually purchased/repaired against the loans and to recover the amounts in case houses are not purchased/repaired; and

(c) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. VENKATA REDDY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Employees Provident Fund Scheme provides safeguards against misuse of advances taken for the purpose of housing. As per the Scheme, if an advance granted under Paragraph 68-B thereof has been utilised for a purpose other than that for which it was granted, steps will be taken to recover the amount due with penal interest at the rate of 2 per cent per annum. Moreover, no further advance shall be granted to the subscriber under this paragraph within a period of 3 years from the date of grant of the said advance or till the full recovery of the amount of the said advance with penal interest thereon whichever is later.

औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करना

2893. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े जिलों तथा अन्य क्षेत्रों के औद्योगिक पिछड़ेपन को अभी तक दूर नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कार्य को गति प्रदान करने तथा पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नये प्रोत्साहन और रियायतें देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी हां। सरकार छठी योजना में क्षेत्रीय विकास की असमानताएं कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) और (ग) यद्यपि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक आयोजना प्रारम्भिक दायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का होता है फिर भी, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन, राजसहायता, रियायती वित्त आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन पहले से ही प्रदान करती है। इसके अलावा, उन्होंने केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम भी आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत 21 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ने कार्यक्रम चालू करने के लिए 60 जिलों/क्षेत्रों का पता लगाया है। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने का सम्बन्ध है, सरकार पिछड़े क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा इस बारे में की गई सिफारिशों की राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों के परामर्श से योजना आयोग में जांच कर रही है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

2894. **श्री उमा कान्त मिश्र :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने की दृष्टि से